न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 326–दो/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 11–11–13 पारित अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 1068/2011 12 अपील.

चंदनसिंह तनय स्व. बैजनाथ सिंह,
निवासी ग्राम धुंधुचिहाई, तह0 रामपुर बघेलान,
जिला सतना हाल मुकाम रामपुर 84,
तह0 रघुराजनगर, जिला सतना, म0प्र0 — आवेदक

विरूध्द

मु. कोशिल्याबाई पत्नी नामालुम पुत्री नामालुम
नि0 ग्राम धुंधुचिहाई, तह0 रामपुर बघेलान,
जिला सतना — अनावेदक

श्री आर0डी0 कुशवाह, अभिभाषक — आवेदक
श्री वी0के0 पाण्डेय अभिभाषक— अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक २५-जुलाई, 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के अपील प्रकरण कमांक 1068/2011 12 में पारित आदेश दिनांक 11 11 13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा धुंधुचिहाई की प्रश्नाधीन आराजी के अभिलिखित भूमिस्वामी काशीनाथ सिंह की मृत्यु होने पर अनावेदक कोशिल्याबाई व्दारा मृतक की पत्नी होने के आधार पर नामान्तरण

हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय में आवेदक चन्दनसिंह व्दारा मृतक का भाई होने व उसके पक्ष में मृतक व्दारा वसीयत निष्पादित करने से प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नाम अंकित करने का अनुरोध किया। तहसील न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 27–11–2010 में यह निष्कर्ष निकाला कि कोशिल्याबाई ने स्वतः मृतक की ब्याहता पत्नी नहीं होना बताया है। मृतक के कोई सन्तान नहीं है तथा वसीयत के साक्षी व्दारा वसीयत की पुष्टि की गयी है। अतः तहसीलदार ने प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक के स्थान पर वसीयतग्रहिता आवेदक चन्दनसिंह का नाम अंकित करने के आदेश दिये।

3/ उक्त आदेश के विरूध्द अनावेदक कोशिल्याबाई व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20–06–12 में दस्तावेजी साक्ष्य राशनकार्ड, वोटरलिस्ट आदि से कोशिल्याबाई को मृत काशीनाथ सिंह की पत्नी होना माना तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पुत्र–पुत्री तथा पत्नि के होते वसीयत की अधिकारिता नहीं होने से अपील स्वीकार की और तहसील न्यायाय का आदेश निरस्त किया। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 11 11–2013 व्दारा खारिज की है। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

4/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि काशीनाथसिंह व्दारा आवेदक चंदनसिंह के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गयी है। वसीयत को वसीयत के साक्षी की साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है। साक्ष्य के आधार पर तहसीलदार व्दारा वसीयत साक्ष्य से प्रमाणित होने से वसीयत के आधार पर नामान्तरण के आदेश दिये जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। उनका तर्क है कि अनावेदक मु. कोशिल्याबाई मृत काशीनाथसिंह की विवाहित पत्नी नहीं है और उसका हिन्दू

रीति रिवाज के अनुसार कभी विवाह काशीनाथ सिंह के साथ नही हुआ। कोशिल्याबाई का विवाह जबलपुर मे हुआ था जिसे उसने अपने बयान में स्वयं स्वीकार किया है। उनका तर्क है कि काशीनाथसिंह को प्रश्नाधीन भूमि वसीयत करने की अधिकारिता थी। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5/ अनावेदक के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में यह कहा है कि जिस दिनांक 4–4–08 को वसीयतनामा निष्पादित किया जाना बताया जा रहा है उक्त दिनांक को काशीनाथ अपनी पत्नी कोशित्याबाई के साथ अपने चचेरे भाई मोतीलाल सिंह के निवास स्थान बिरला कालोनी सतना में था, इसलिये आवेदक के पक्ष में वसीयत निष्पादित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। आवेदक काशीनाथ सिंह के जीवनकाल में कभी अपने भाई को देखने तक नहीं आया और न ही बोला चाला है, बल्कि पूरे समाज ने आवेदक चन्दनसिंह को दूसरी जाति की लड़की को भगा ले जाने के कारण जाति से बहिष्कृत कर दिया था। वसीयत के सभी साक्षी अनावेदक को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से रंजिशन झूठी गवाह दिये हैं तथा उनके द्वारा भी साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक वसीयतनामा प्रमाणित नहीं किया गया है। उनका लिखित तर्क में यह भी कहना है कि आवेदक ने कोशिल्याबाई को काशीनाथ की पत्नी होना स्वीकार नहीं किया है। अगर काशीनाथसिंह की कोशिल्याबाई पत्नी नहीं है तो काशीनाथ सिंह का एक मात्र वारिस चन्दनसिंह है, इसलिये चन्दनसिंह के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया है।

6/ विद्वान तहसील न्यायालय ने अपने आदेश मे साक्ष्य की विवेचना के पश्चात मृत काशीनाथसिंह द्वारा आवेदक चन्दनसिंह के पक्ष में निष्पादित वसीयत को वसीयत के गवाह की साक्ष्य से विरुद्ध होने संबंधी निष्कर्ष निकाला

है। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रथम अपील में अनावेदक कोशिल्याबाई को निर्वाचन कार्ड, वोटरलिस्ट, राशनकार्ड व साक्षियों के कथन के आधार पर मृतक की पत्नि होने व पत्नि के होते काशीनाथसिंह को भूमि वसीयत करने की अधिकारिता नहीं होने के आधार पर अपील स्वीकार की है। अनुविभागीय अधिकारी ने वसीयत साक्ष्य से सिध्द नहीं है या संदिग्ध है, इस संबंध में अपने आदेश में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। अनावेदक कोशिल्याबाई ने स्वयं अपने साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसकी शादी जबलपुर में हुई थी। पति के खत्म होने पर काशीनाथ के यहाँ आयी हूँ। मेरा विवाह नहीं हुआ था, जयमाला डाल के आयी थी। इस तथ्य को अनावेदक के साक्षी विमलाबाई उर्फ मुन्नी ने भी अपने बयान के प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। वसीयतनामा दिनांक 04–04–08 में वसीयतकर्त्ता काशीनाथसिंह व्दारा स्वयं यह अंकित किया है कि –

"मेरे पास एक औरत 10 वर्ष से सेवा बतौर रह रही है। मैने शादी नहीं की, न ही मेरा कोई वारिसदार है जिस प्रकार वह अभी रह रही है उसी प्रकार मेरा भाई भी उसकी परिवरिश पर ध्यान देवे और अपने हिस्से की चल अचल सम्पत्ति का वारिसदार अपने भाई को बना रहा हूँ व वसीयत के रूप में दे रहा हूँ।"

यदि आवेदक चन्दनसिंह व्दारा फर्जी वसीयत तैयार की जाती तो उसके व्दारा वसीयतनामें में उक्त बातें नहीं लिखी जाती। वसीयतकर्त्ता का हिन्दू रीति रिवाज से विवाह नहीं हुआ था, इसी कारण वसीयतकर्त्ता अपनी सम्पत्ति कोशल्याबाई को नहीं देना चाहता था और उसके व्दारा अपने भाई आवेदक चन्दनसिंह के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गयी। वसीयतकर्त्ता का कोई विधिक वारिस पुत्र, पुत्री, विवाहिता पत्नि नहीं होने से वसीयतकर्त्ता को अपनी सम्पत्ति वसीयत करने की अधिकारिता थी और राजस्व न्यायालय तहसीलदार व्दारा मृतक की अंतिम इच्छा अर्थात वसीयत के आधार पर नामान्तरण करने के आदेश देने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की थी, किन्तु अपीलीय न्यायालयों

ने वसीयत पर विचार किये बिना कौशिल्याबाई मृतक के साथ निवास करने के आधार पर उसे मृतक की पत्नी मानकर नामान्तरण आदेश देने में भूल की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 11—11—13 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 20—06—12 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार का आदेश दिनांक 27—11—2010 यथावत रखा जाता है।

( एम0के0सिंह )
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,